

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- F4(ई)/एपीओ/अलेसे-III / 823-830

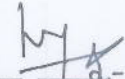
दिनांक :- 13-4-17

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिकों की आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7 (8) (B) (III) के अंतर्गत नियमित करते हुए वेतन आहरण की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

| क्र.स. | लिक नं. | नाम (सर्वश्री) / पदनाम                          | अवधि       |            | विभाग/कार्यालय जहां से वेतन भुगतान किया जाना है |
|--------|---------|-------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------|
| (1)    | (2)     | (3)                                             | कब से (4)  | कब तक (5)  | (6)                                             |
| 1      | 1867    | नन्द लाल व्यास / सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम | 13/02/2017 | 03/03/2017 | निदेशक, निरीक्षण विभाग, जयपुर - 1763            |
| 2      | 512     | पदम सिंह भाटी / सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम  | 02/02/2017 | 23/02/2017 | कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, अजमेर - 1091    |

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 1639 दिनांक 31/03/2017 द्वारा अनुमोदित है।

  
(पंकज पाटनी)  
निदेशक

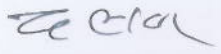
क्रमांक:- F4(ई)/एपीओ/अलेसे-III /

823-830

दिनांक :- 13-4-17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर अनुरोध है कि संबंधित कार्मिक का गत भुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर वेतन भुगतान की व्यवस्था करावें।
3. संबंधित विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर अनुरोध है कि संबंधित कार्मिक का गत भुगतान प्रमाण पत्र एवं सेवा पुस्तिका उनके सामने कॉलम संख्या 6 में अंकित विभाग/ कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करावें।
4. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम / सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय / कनिष्ठ लेखाकार
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
6. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित निजी पत्रावली।

  
(बलवीर सिंह गोठवाल)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I)